

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(अ)अकाद/आकाशि/रिफे/जयपुर/10/65

दिनांक: 30 नवम्बर, 2010

निदेशक,  
अकादमी स्टाफ कॉलेज,  
राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर।

विषय: दिनांक 13.12.2010 से 01.01.2011 तक "Major Concern in Social Sciences" विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक: ए.एस.सी./2010/439-42 दिनांक: 20.10.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक 13.12.2010 से 01.01.2011 तक "Major Concern in Social Sciences" विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	रितु भटनागर	राजनीति शास्त्र	राज0 कन्या महा0, उदयपुर
2	सीताराम चौधरी	राजनीति शास्त्र	टी.आर.एफ. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3	हीरा लाल मीणा	राजनीति शास्त्र	राज0 महा0, करौली
4	कल्लन सिंह मीणा	राजनीति शास्त्र	राज0 महा0, गंगापुरसिटी
5	बनवारी लाल मेनावत	राजनीति शास्त्र	राज0 महा0, गंगापुरसिटी
6	सुमन रानी नादेरिया	राजनीति शास्त्र	राज0 कन्या महा0, अलवर
7	मधुलिखा सिंह उज्जवल	राजनीति शास्त्र	राज0 कन्या महा0, उदयपुर
8	बृज लाल मीणा	राजनीति शास्त्र	राज0 महा0, कालाडिसा
9	अशोक कुमार s/o नन्दराम	समाजशास्त्र	राज0 डूंगर महा0, बीकानेर
10	चरण सिंह मीणा	समाजशास्त्र	राज0 महा0, बयाना
11	सरोज नैनीवाल	समाजशास्त्र	राज0 कन्या महा0, बुन्दुनु
12	मीनू तनवर	समाजशास्त्र	राज0 कन्या महा0, आगरा नगर
13	इब्बुराब वर्मा	समाजशास्त्र	राज0 कन्या महा0, करौली
14	रामकिशोर धामानी	अर्थशास्त्र	राज0 कला महा0, अलवर
15	श्याजी राम बैरवा	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, केकड़ी
16	गोविन्द गुप्ता	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, कोटपूतली
17	दुलीचन्द मीणा	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, राजगढ़
18	कन्हैया लाल मीणा	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, दौसा
19	राजेन्द्र कुमार मीणा	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, धानानाजी
20	मुकेश कुमार	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, राजगढ़
21	सनील कुमार मीणा	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, बारां
22	नीरू कुमारी	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, कोटपूतली
23	प्रदीप सिंह	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, कालाडिसा
24	सीमा माखला	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, बून्दी
25	रेणु व्यास	अर्थशास्त्र	राज0 कन्या महा0, अलवर
26	ललित यादव	अर्थशास्त्र	राज0 महा0, कोटपूतली
27	महेन्द्र	लोक प्रशासन	राज0 महा0, नागौर
28	शिव कुमार मीणा	लोक प्रशासन	राज0 महा0, सीकर
29	महेश कुमार बवेरवाल	भूगोल	राज0 महा0, खेतड़ी
30	विनोद कुमार भारद्वाज	भूगोल	राज0 महा0, चिमनपुर
31	कार्ष्णी कुमार भट्ट	भूगोल	राज0 महा0, शिवगढ़
32	राजेन्द्र सिंह चौहान	भूगोल	राज0 महा0, भीलवाड़ा
33	कमलकेय कुमार	भूगोल	राज0 महा0, भीलवाड़ा
34	राजेन्द्र कुमार मीणा	भूगोल	राज0 महा0, कालाडिसा
35	सीताराम मीणा	भूगोल	राज0 महा0, कालाडिसा

36	विजय राम मौणा	भूगोल	राज0 महा0, वारां
37	जगदीश प्रसाद मौर्य	भूगोल	राज0 महा0, दौसा
38	रघुवीर सिंह	भूगोल	राज0 महा0, वासवाड़ा

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र अपने स्तर पर भेजे तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची आयुक्तालय को भिजवावे। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपकी इकाय देना होगा।


सचदीय

  
संयुक्त निदेशक

क्रमांक: एफ 7(अ)अकाद/आकाशि/रिफे/जयपुर/10/ 65 दिनांक: 30 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-
  - मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 13.12.2010 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
  - 1 मई 1989 की कैरियर एडवान्समेंट योजना के तहत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान प्राप्त करने वाले सभी व्याख्याताओं के लिए चार कोर्स करना अनिवार्य है। वरिष्ठ वेतनमान हेतु एक कोर्स की छूट 27 जुलाई, 1998 की संशोधित सी.ए.एस. योजना (Revised CAS Scheme) के तहत प्रदान की जाती है तथा व्याख्याताओं को प्रदान की गई है तथा इस सूची में मनोनीत व्याख्याताओं को यह कोर्स करना अनिवार्य है। कोर्स पूर्ण न करने पर होने वाले हानि के लिए आप स्वयं व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।
  - व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के परचम को रिफ्रेश कोर्स करना अनिवार्य है।
  - जिन व्याख्याताओं को दिनांक 27.07.98 से पूर्व में वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान प्राप्त हो चुके हैं उन व्याख्याताओं ने यदि नियमानुसार कुल 04 कोर्स नहीं किये हैं तो उन्हें निर्धारित रिफ्रेश कोर्स करना अनिवार्य है।
  - संबंधित व्याख्याता का सेवा रिकार्ड देखकर सुनिश्चित होकर ही कार्यवाही करने के लिए प्राचार्य को हिदायत दी जाती है, किसी व्याख्याता ने यदि नियमानुसार कोर्स पूर्ण कर लिया है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करें तथा विभाग को पूर्ण विवरण (मय प्रमाण पत्र) के साथ अतिशीघ्र (फैक्स नम्बर 2706550 पर) अवगत करावे।
  - सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से रिफ्रेश कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए यात्रा एवं भत्ता पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी।
- संबंधित व्याख्याता - यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2011 तक आपकी कार्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस व्याख्याताओं की सेवा निवृत्ति दि0 31-1-2011 है उनके कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है।
- निजी रूचि, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के सम्बन्ध में सूची के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनेयन निम्न प्रकार से निर्देश विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
- रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक